

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 1711 / ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(80)-2017

लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1 सन् 2017) की धारा-9 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना संख्या क0नि0-2-844/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(11)-2017 दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं0-9 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"10	भारतीय रिज़र्व बैंक की ओवरसीइंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीइंग कमेटी के सदस्य	भारतीय रिज़र्व बैंक ।",
-----	---	---	-------------------------

2- यह अधिसूचना तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

• अपर मुख्य सचिव